विशेष न्यायालय (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,

कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव

UPUN010042292026

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या:– 1788/2026

1. **करन राजपूत पुत्र अखिलेश राजपूत,**
   निवासी:– कुडरा, थाना:– विशुनगढ़, जिला:– कन्नौज,

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उन्नाव,**
2. **सूरज कुमार पुत्र रामस्वरूप, निवासी:– ग्राम बदियाखेड़ा, थाना:– बारासगवर, जिला:– उन्नाव**

.....विपक्षीगण

मु०अ०सं०:– 205/2025,
धारा:– 115(2), 352, 351(3), 324(4) बी०एन०एस०
एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना:– बीघापुर, जिला:– उन्नाव

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

दिनांक:– 20.07.2026

अभियुक्त **करन राजपूत** की ओर से **मु०अ०सं०:– 205/2025, धारा:– 115(2), 352, 351(3), 324(4) बी०एन०एस० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना:– बीघापुर, जिला:– उन्नाव** में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के द्वारा दाखिल प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इससे पूर्व प्रार्थी द्वारा कोई भी जमानत प्रार्थना न तो श्रीमान् जी, के न्यायालय में, न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया है, और न ही विचाराधीन है, और न ही खारिज हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सूरज कुमार पुत्र राम स्वरुप निवासी ग्राम बदियांखेड़ा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव का निवासी हूँ। गत दिनांक 08/08/2025 को शाम करीब 7.30 बजे मैं अपनी मोटर साइकिल से अपने घर से अपने मामा के घर कस्वा बीघापुर जा रहा था रास्ते में ग्राम पाली से नहर पुलिया के निकट अचानक से राज S/O कुचरी माली व करन S/O राजाराम लोधी (निवासीगण कस्वा बीघापुर जनपद उन्नाव) ने मेरी मोटर साइकिल मे बैठे, कुछ दूरी चलने पर राज ने मेरी मोटर साइकिल की चाबी निकाल लिया और दोनो लोग मुझे मारने पीटने लगे। इतने में पीछे से आ रहे उनके साथी करीब 10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात आ गये और मुझे बुरी तरह से मारने–पीटने लगे। जिससे मुझे काफी चोटें आयी और मेरी मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त कर दिया। मारपीट के दौरान उपरोक्त लोगों ने मुझे गन्दी गन्दी जातिसूचक गालियां दे रहे थे तथा बाद में जान से मारने की धमकियां देते हुये उपरोक्त सभी लोग चले गये। लडाई–झगड़ा के दौरान मेरी पैंट की जेब मे रखी पर्स व काले रंग की

पालीथीन में रखा मोबाइल Samsung 5G व उसका चार्जर गिर गया जो कि मुझे नहीं मिला। मेरी पर्स मे करीब 15000 रुपये थे जो मुझे नहीं मिले। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त मामले की जाँचकर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत में कथन किया है कि प्रार्थी को रंजिशन व झूठा फंसा दिया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवाद का कोई स्पष्ट कारण वादी द्वारा दर्शित नहीं किया गया है, इस कारण यह घटना झूठी प्रतीत होती है। वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट व विरोधाभाष है, जिसमे स्पष्ट होता है कि यह घटना झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी ने कभी–भी वादी को जाति सूचक शब्द से अपमानित नहीं किया है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इससे पूर्व प्रार्थी द्वारा कोई भी जमानत प्रार्थना न तो श्रीमान् जी, के न्यायालय में, न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया है, और न ही विचाराधीन है, और न ही खारिज हुआ है। प्रार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद न तो कहीं भागेगा, न ही सबूम गवाहन को तोड़ेगा, और हर तारीख पेशी पर न्यायालय में हाजिर होता रहेगा। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक व वादी मुकदमा के अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी मुकदमा पर नोटिस का तामीला पर्याप्त है। वादी मुकदमा अथवा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मुकदमा में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 08.07.2026 से अंतरिम जमानत पर हैं तथा दौरान अंतरिम जमानत इनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किये जाने का कोई तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के सह–अभियुक्त राज की जमानत इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2026 को स्वीकृत की जा चुकी है। आरोप–पत्र में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं है।

अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्तागण को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **करन राजपूत** की ओर से **मु०अ०सं०:– 205/2025, धारा:– 115(2), 352, 351(3), 324(4) बी०एन०एस० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना:– बीघापुर, जिला:– उन्नाव** में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र **स्वीकार** किया जाता है तथा अभियुक्त उपरोक्त द्वारा रू० 20,000/–(बीस हजार रूपए) का स्वबंध पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक:– 20.07.2026

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव